फर्द अहकाम

नियम 26

अदालत सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक भादरा मुकाम भादरा

रूकसानाबानो बनाम सलामु आदि

म मुकदमा 212 आरटीएक्ट नं० 12/23 सन् 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
2.09.2023	प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट का पेश किया गया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई बहस पर मनन करने एवं रिकार्ड का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीया के पक्ष में बनता है अतः अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पैशी तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि वे वादाधीन रकबा तहसील भादरा के वाके रोही मोजा चक 10 बारानी के खता सं0 48/16 के मु0 न0 90 के किला न0 10/2, 11, 20, 21/2 मु0नं0 91 किला नं0 6/2, 7/2, 8/3, 13/2, 14 ता 17, 18/2, 23/3, 24/2, 25/2 की कुल 2.531है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि को अप्रार्थीगण रहन, बैय, मुन्तकिल व निर्माण नहीं करे तथा रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनायें रखें। इस संबंध में अप्रार्थीगण को किसी प्रकार का कोई उज्र एवं ऐतराज हो तो न्यायालय में असालतन एवं वकालतन दिनांक 23.10.2023 को उपस्थित आकर वजह जाहिर करें अन्यथा क्यों ना ताफैसला अस्थाई निषेधाज्ञा कन्फर्म कर दी जावे। वकील अप्रार्थीगण की तलवी रजिस्टर्ड एडी से करवाकर रसीदे न्यायालय में पेश करें, तथा आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना सुनिश्चित करें। पत्रावली दिनांक 23.10.2023 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)भादरा	
04/10/23	पत्रावली आज वकील प्रार्थी एवं प्रार्थीया स्वयं के प्रार्थना पत्र पर पेशी में ली गई। वकील प्रार्थी एवं प्रार्थीया स्वयं ने प्रार्थना पत्र पेश कर मूल वाद को खारिज करवा लिया है। मूल वाद खारिज होने पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है अतः निस्तारित	मूल आवेदन मामला वापस नहीं चाहती Not press कृ.नि. रूकसाना/बानो पत्रावली (हस्ताक्षर)

22.09.23 को इस मामलात SDO जारी स्थगन आदेश को समाप्त/निरस्त किया जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 को इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

Scanned with CamScanner